



# कृषि अनुसंधान उप केन्द्र

अकलेरा - 326033 जिला - झालावाड राजस्थान  
(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

## निविदा प्रपत्र

टेन्डर आदेश क्रमांक - एफ.17(1)/कृ.वि.वि./लेखा शाखा /एआरएसएस/अकलेरा /2024/1380.84 दिनांक 27.11.2023  
निविदा आमन्त्रित करने की दिनांक : 28.11.2024

निविदा जमा करने की तिथि : 17.12.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि : 17.12.2024 को दोपहर 2.00 बजे से

विषय:- रबी फसलो में हाथ द्वारा निराई - गुड़ाई कर फसल की कटाई तक पूर्णतया खरपतवार रहित रखने का कार्य कराने हेतु

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित क्षेत्रफल	निविदा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली दर रुपये प्रति है0 में
1	रबी फसलो चना, सरसो, गेहूँ एवं धनिया में हाथ द्वारा निराई - गुड़ाई कर फसल की कटाई तक पूर्णतया खरपतवार रहित रखने का कार्य कराने हेतु	38.00 हैक्टर	रुपये..... अक्षर:- प्रति है0

हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी

मैंने सभी शर्तों (संलग्न फार्म के साथ) ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मुझे मान्य है। मैं आपके फार्म पर उपरोक्त कार्य करना चाहता हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

स्पष्ट नाम .....

पूर्ण पता .....

मोबाइल नं. ....

## कृषि अनुसंधान उप केन्द्र


निविदा की शर्त :-

- 1 दर देने से पूर्व समस्त शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे एवं दर लिखकर निविदा प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करे।
- 2 प्रस्तावित निविदा लिफाफे में शील बन्द होनी चाहिए एवं उस पर प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र अकलेरा अंकित कर प्रस्तुत करे।
- 3 दर शब्दों व अंकों दोनों में लिखे। किसी भी प्रकार की कौट छॉट वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 4 निविदा धरोहर राशि की जमा पर्ची के साथ जमा करवानी होगी। यदि निविदा प्रपत्र बेसाइड से प्राप्त करते है तो 500.00 रूपये निविदा प्रपत्र शुल्क धरोहर राशि के साथ जमा करानी होंगी।
- 5 प्लेसमेंट एजेन्सी को निविदा फार्म के साथ पंजीकरण पत्र की छाया प्रति साथ में लगानी होगी।
- 6 धरोहर राशि में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 7 प्रथम निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालने का कार्य पूर्ण होने पर 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान फसल की कटाई के समय कार्य संतोषजनक होने पर ही किया जायेगा।
- 8 कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए कार्य की समयावधि व क्षेत्रफल घटाया/बढाया जा सकता है।
- 9 कार्य समाप्ति के बाद बिल प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र अकलेरा को दो प्रति में प्रस्तुत करना होगा।
- 10 कार्यरत व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना व मारपीट आदि की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 11 कार्य अधूरा छोडने या कार्य सन्तोषजनक नहीं रहने पर ठेका निरस्त कर उसका हर्जाना वसूला जावेगा एवं ठेकेदार को किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
- 12 द्वितीय न्यूनतम दर वाली पार्टी की धरोहर राशि, कार्य प्रारम्भ होने तक कार्यालय में जमा रहेगी।
- 13 बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।
- 14 ठेकेदार के आदमियों द्वारा फार्म के आहते में शराब, बीड़ी, सिगरेट व अन्य नशीलें पदार्थ पीना/लाना सख्त मना है।
- 15 फार्म परिसर में ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
- 16 किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र, न्यायालय अकलेरा होगा।
- 17 निविदादाता के पास पेन नं. (PAN) व आधार कार्ड होना आवश्यक हैं तथा नियमानुसार बिल की राशि से सेवाकर की कटौती की जावेगी।

मैंने सभी शर्तों (संलग्न फार्म के साथ) ध्यानपूर्वक पढ ली है एवं मझे मान्य है। मैं आपके फार्म पर उपरोक्त कार्य करना चाहता हूँ।

दिनांक :

स्थान



हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी

( हस्ताक्षर ठेकेदार )

पूर्ण पता .....

मोबाइल नं. ....